

राजस्थान सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट-ii/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ जयपुर दिनांक 30/06/17
37363

परिपत्र

विषय :- जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील पिटिशन संख्या 5854/1994 कुमारी माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल पिटिशन संख्या 15574/2013 व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स एवं सक्षम अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं क्रमांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में ही नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में अधिसूचित की गयी जातियों की वर्तनी (Spelling) के अनुसार ही आवेदको की वास्तविक जाति का परीक्षण एवं जाँच पडताल पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना ठीक तरह से नहीं की जा रही है एवं अधिसूचनाओं में वर्णित जाति की वर्तनी (Spelling) का ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण त्रुटिवश किन्ही व्यक्तियों को गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं, विशेषतौर से जाति या समुदाय के नाम में 'ध्वन्यात्मक समानता' (Phonetic similarity) होने के कारण अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने-वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक की जाति की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं में अंकित

वर्तनी (Spelling) की उसके स्वयं/पैतृक राजस्व रिकार्ड या आवश्यकता होने पर अन्य रिकार्ड यथा ग्राम पंचायत/नगरपालिका के रिकार्ड इत्यादि में पूर्णतया पुष्टि होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उपरोक्त दिशा निर्देश एवं विभिन्न पत्र/परिपत्र के अनुसरण में ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। गलत जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबन्ध में संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

साथ ही शंकास्पद एवं झूठे जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(10) प्र.सु./अनु.3/2011 दिनांक 23.07.2015 द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन एवं सतर्कता समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में दर्ज समस्त प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निर्णय किया जाए।

27/6

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट-ii /जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ जयपुर दिनांक 31/06/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:- 37364-650

- 1) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 2) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 3) समस्त उपखण्ड अधिकारी.....
- 4) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 5) एसी.पी. मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 6) गार्ड फाईल

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव